राजेश कुमार,भा.प्र.से. प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-06.5.2026 को नगर निकाय क्षेत्रों में बस/आर्टो/e-रिक्सा आदि से बैरियर वसूली तथा बस स्टैण्ड, ऑटो/e-रिक्सा स्टैण्ड की सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकरी, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित महापौर, नगर निगम, पूर्णिया, सभी सभापति/मुख्य पार्षद्, सभी नगर निकाय, कार्यपालक पदाधिकारी का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित बस पड़ाव वार विस्तृत समीक्षा प्रारंभ की गई। बस एशोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य द्वारा पूर्णिया जिला में अवैध बैरियर लगाकर अवैध राशि वसूली, बस स्टैण्ड अधिसूचित नहीं रहने के बावजूद भी अवैध बैरियर लगाने, बस स्टैण्ड में बेसिक सुविधा यथा वाहन खड़ी रहने के जगह का अभाव, पेयजल, शौचालय आदि नहीं रहने, सैरात में निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने का शिकायत किया गया।

<u>समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया :-</u>

1. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर निगम, पूर्णिया क्षेत्रान्तर्गत बेलौरी बस स्टॉप पर सैरात बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण विभागीय वसूली श्री नवीन कुमार सिंह, वार्ड पर्यवेक्षक द्वारा किया जा रहा है। बस ऑनर्स द्वारा निर्धारित राशि 20 रूपये के बदले 60 रूपया लेने का शिकायत किया गया। नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया को अवैध राशि वसूली करने वालों की जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सैरात बन्दोवस्ती होने तक विभागीय वसूली हेतु पूर्व से कार्यरत आरोपित लोगों को हटाकर नये सिरे से चयनित कर्मियों से कार्य लिया जाए। चयन पूरी पारदर्शिता के साथ की जाय। साथ ही उनकी पहचान हेतु आई0डी0 कार्ड तथा जैकेट दी जाय ताकि अवैध व्यक्तियों की पहचान हो सके। बेलौरी बस स्टॉप की सैरात बंदोबस्ती हेतु नगर आयुक्त यथाधीघ्र नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

2. सैरात हेतु नोटिफाइड क्षेत्रों में ही वसूली का प्रावधान है। यदि नोटिफाइट क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानों पर वसूली की जाती है तो यह अवैध माना जाएगा। अतः संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नोटिफाइड क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में संवेदक अवैध वसूली नहीं करें। अन्यत्र स्थानों पर वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संवेदक के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध भी आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई किया जाय।

3. बैठक के दौरान यह शिकायत प्राप्त हुआ कि कतिपय Vehicle Category यथा टेम्पू, ई-रिक्सा के संबंध में विभागीय प्रावधान नहीं रहने के बावजूद प्रति ट्रिप वसूली की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में भी प्रति ट्रिप Rs.10-20 की वसूली की भी बात बतायी गई। इस संबंध में पृच्छा करने पर किसी भी कार्यपालक पदाधिकारी/नगर निगम पूर्णिया के पदाधिकारी द्वारा विभागीय प्रावधान को उपस्थापित नहीं किया जा सका। अतः जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को आदेश दिया गया कि विभागीय प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर लें। नियमों के विपरित वाहनों अथवा किसी अन्य से कोई भी वसूली नहीं की जाय। यदि वसूली का प्रावधान है तो

ऑटो रिक्सा, रिक्सा एवं ई-रिक्सा चालकों से न्यूनतम राशि की वसूली की जाय। तथा उपरोक्त वसूली भी अधिसूचित बस स्टैंड/अधिसूचित पार्किंग में वाहन लगाने की स्थिति में ही किया जाय। किसी भी स्थिति में अधिसूचित बस स्टैंड/अधिसूचित पार्किंग से अन्यत्र नियम विरूद्ध वसूली की कार्रवाई पर तुरंत रोकथाम किया जाय। जैसा कि शिकायत किया जा रहा है।

4. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सैरात बन्दोवस्ती के तहत निर्धारित की गयी राशि से अधिक राशि की वसूली नहीं करेंगे। अधिक राशि की वसूली करने पर संबंधित संवेदक का एकरारनामा रद्द करने के साथ साथ उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई किया जाय।

5. पूर्णिया जिलान्तर्गत बस स्टैण्डों/बस पड़ावों में वसूली जाने वाली राशि में एकरूपता नहीं है। अतः जिला पदाधिकारी पूर्णिया अपने स्तर से समीक्षा कर वाहनों का श्रेणीवार उपयुक्त दर निर्धारित करेंगे ताकि वसूली की जाने वाली राशि में एकरूपता रहे।

6. समीक्षा के क्रम में बनमनखी बस स्टैण्ड में विभागीय वसूली के अतिरिक्त प्रति ट्रिप ऐजेन्टी के नाम पर 100 रूपये वसूले जाने का शिकायत प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया जा सका। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बनमनखी को आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में बैरियर एवं एजेण्टी के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर अतिशीघ्र रोक लगायेंगे तथा इसमे संलिप्त व्यक्तियों/संवेदको के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी को आदेश दिया जाता है कि ऐसे गैर कानूनी कार्य में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही BNSS की सुसंगत धाराओं के तहत Personal Bond निष्पादित कराया जाय।

7. विभागीय वसूली के रूप में संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत रसीद पर निर्धारित दर पर ही वसूली हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। रसीद का विधिवत पंजी में संधारण किया जाय। फर्जी रसीद पर वसूली करने वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

8. Bus Association एवं कतिपय वाहन मालिकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय Non-notified बस पड़ाव पर भी वसूली की शिकायत की गई है। इस संबंध में अपर समाहर्ता, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व के अधिसूचित सैरात है जिसका बंदोबस्ती अंचल कार्यालय से होता आ रहा है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि इसकी पूरी जांच कर लें तथा जो बस स्टैण्ड/पड़ाव अधिसूचित नहीं है उसे मोटरयान अधिनियम 1988 तथा बिहार मोटरयान नियमावली 1992 के सुसंगत नियमों के तहत अधिसूचित कराने हेतु कार्रवाई किया जाय।

9. जिला पदाधिकारी यथाशीघ्र नगर निकाय के क्षेत्रों में पड़ने वाले सैरातों का विधिवत हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिसका अनुरोध बैठक में उपस्थित नगर निकाय के सभापति गण द्वारा किया गया।

10. जिला पदाधिकारी समय-समय पर अवैध बैरियर वसूली की जाँच संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से करायेगे तथा दोषी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

11. अन्यान्य

a. नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अपने कार्यालय में सामग्री क्रय में विभागीय स्तर से निरूपित मापदंडो का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में फर्जी/गलत तरीके से सामग्री का क्रय नहीं करेंगे। जैसा कि शिकायत प्राप्त हो रहा है।

b. नगर निकाय कार्यालयों में निविदा निष्पादन के संबंध में बहुत शिकायत प्राप्त होती रहती है। नगर आयुक्त तथा सभी कार्यपालक पदाधिकारी निविदा निष्पादन के क्रम में स्थापित प्रावधानों तथा विभागीय नियमों का अनुपालन करेंगे।

c. सभी नगर निकाय अपने कार्यालय का अद्यतन Audit अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक .... पूर्णिया, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, कसबा/बनमनखी/धमदाहा/भवानीपुर/रूपौली/चम्पानगर मीरगंज/जानकीनगर/अमौर/बायसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्ता, पूर्णिया/उप विकास अयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी पूर्णिया सदर/बनमनखी/धमदाहा/वायसी को निदेशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में अवैध वसूली पर तुरंत रोकथाम करेंगे। तथा ऐसे गैर कानूनी कार्य में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही BNSS की सुसंगत धाराओं के तहत Personal Bond निष्पादित करायेंगे।

प्रतिलिपिः- सभापति/मुख्य पार्षद, कसबा/बनमनखी/धमदाहा/भवानीपुर/रूपौली/चम्पानगर मीरगंज/जानकीनगर/अमौर/बायसी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- महापौर, नगर निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 619 पूर्णिया, दिनांक 09-05-2026

प्रतिलिपिः- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09/5/2026.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।